न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2019RAAJu229RTA009 Jora etc Vs Hadmaan etc

1. जोरा पुत्र चौथाराम विश्नोई
2. पांचा पुत्र चौथाराम विश्नोई
3. मांगिया पुत्र मंगला विश्नोई
4. जगमाल पुत्र छोगाराम विश्नोई
5. हीरा पुत्र छोगाराम विश्नोई.

निवासीगण ग्राम केलनसर, तहसील फलोदी
जिला जोधपुर

----- प्रार्थीगण

ब

ना

म

1. हडमान पुत्र रुगनाथ विश्नोई
2. हरचन्दराम रुगनाथ विश्नोई
3. बाबूराम उर्फ बाबूलाल रुगनाथ विश्नोई

निवासीगण ग्राम केलनसर, तहसील फलोदी
जिला जोधपुर

----- अप्रार्थीगण

रिव्यु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 47 नियम 01 सीपीसी विरुद्ध निर्णय एवं डिकी दिनांक 08 नवम्बर 2019 राजस्व अपील संख्या 15/2018 जोरा व अन्य हडमानराम इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता-प्रार्थीगण
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अप्रार्थीगण

नि र्ण य

दिनांक : 24 जन., 2020

प्रार्थीगण ने अदालत हाजा द्वारा अपील संख्या 15/2018 जोरा व अन्य बनाम हडमानराम आदि में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 08

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नवम्बर 2019 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 229 सपठित आदेश 47 नियम 01 सीपीसी के तहत यह रिव्यु प्रार्थनापत्र दिनांक 14 नवम्बर 2019 को प्रस्तुत किया है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-अप्रार्थीगण संख्या एक से तीन ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 188 एवं 92ए के तहत एक राजस्व वाद प्रतिवादीगण-प्रार्थीवाद के खिलाफ आराजी खसरा संख्या 333 रकबा 280 बीघा 08 बिस्वा वाके मौजा केलनसर तहसील फलोदी पैतृक सम्पत्ति होकर वादीगण-अप्रार्थीगण को उत्तरोत्तर विरासत में प्राप्त होना माना जाकर तदनुसार वादीगण-अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने एवं विभाजन के गलत नामान्तरकरण संख्या 13 अथवा 1/142 ग्राम केलनसर को निरस्त किये जाने और वादग्रस्त आराजी बाबत वादीगण-अप्रार्थीगण के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण-प्रार्थीगण को तलब किया गया। उक्त प्रकरण साक्ष्य में चलने के दौरान प्रतिवादी-पक्ष की ओर से आदेश 9 नियम 7 सीपीसी के तहत आवेदन पेश किया गया जो दिनांक 23 मार्च 2017 को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण को वाद की आगे की कार्यवाही में हिस्सा लेने हेतु अनुमति दी गयी। इसके बाद दिनांक 08 जनवरी 2018 को मूल वाद में निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिये गये। जिसके खिलाफ अदालत हाजा में अपील अन्तर्गत धारा 223 प्रस्तुत की गयी, जो अपील संख्या 015/2018 जोरा व अन्य बनाम हडमानराम आदि दिनांक 08 नवम्बर 2019 को खारिज कर दी गयी। जिसके खिलाफ आलौच्य रिव्यु प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता-प्रार्थीगण ने प्रकरण के तथ्यों एवं प्रार्थनापत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि प्रथम दृष्टया अभिलेख के मुखपृष्ठ पर अवलोकन मात्र से ही प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गयी तारीख पेशीयों में हेरफेर होता रहा है, पेशी दिनांक 29 जनवरी 2018 दी गयी थी, जिसको बदल कर 16 जनवरी 2018 को निस्तारण कर दिया, जो प्रथम दृष्टया देखने से ही प्रकट होता है जो मुखपत्र की गलती के रूप में आने के कारण अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी रिव्यु की जाकर अपास्त किये जाने योग्य है। अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय को देखने मात्र से ही स्पष्ट होता है कि गवाहान द्वारा फर्जी कूटरचित बंटवाडे को साबित नहीं किया गया, तथा रिकार्ड से स्पष्ट नहीं होता है कि बंटवाडे को फर्जी व कूटरचित साबित करवाया गया हो, इस कारण निर्णय में पूर्णतया फेस ऑफ रिकार्ड की गलती होने के कारण अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड के मुखपत्र पर यह देखने में यह भूल की है कि प्रार्थीगण जिनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में नहीं लाई गयी थी, उनकी अनुपस्थिति व इकतरफा कार्यवाही करने की कोई आदेशिका नहीं होने के बावजूद उनको सुनवाई का अवसर दिया जाना माना गया है, जो कि अदालत हाजा की मुखपत्र पर गलती होने के कारण आलौच्य निर्णय व डिकी अपास्त किये जाने योग्य है।

जबाब में अधिवक्ता-अप्रार्थीगण ने जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी-पक्ष को कई अवसर जबाब पेश करने हेतु दिये मगर फिर भी उसके द्वारा जबाब पेश नहीं किया गया। वादीगण-अप्रार्थीगण द्वारा अपने वाद में दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

यह भलीभांति साबित था कि इंस प्रकरण में मूल खातेदार रूगनाथराम द्वारा कोई बंटवाडा निष्पादित नहीं किया गया था तथा नामान्तरकरण संख्या 13/142 के स्वीकृत करने का कोई आधार नहीं था, इस कारण विचारण न्यायायल द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार कर डिकी किया गया था माननीय न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय एवं डिकी को बहाल रखा गया है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण का यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण-प्रार्थीगण के जबाब का अवसर बन्द करने से पूर्व समुचित अवसर जबाब हेतु प्रदान किये जा चुके थे। जबाब बंद करने के अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल में निगरानी भी पेश हुई जो खारिज हो चुकी है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वास यह भी जाहिर किया गया कि अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के तहत द्वितीय अपील पेश हो चुकी है तथा माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अदालत हाजा से संबंधित पत्रावली भी तलब की जा चुकी है। अतः अब इस रिव्यु प्रार्थना पत्र में कोई सार नहीं रह गया है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थनापत्र में अधिवक्ता-प्रार्थीगण द्वारा मुख्य आक्षेप यह उठाया गया है कि अदालत हाजा द्वारा मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तारीख-पेशीयों के संबंध में की गयी अनियमितताओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और अदालत हाजा की इसी चूक के कारण प्रश्नगत निर्णय एवं डिकी **प्राइमा फेसाई एरर अपारेण्ट ऑन दि फेस ऑफ दि रिकार्ड** के दोष से ग्रसित होने के कारण अपास्त/संशोधित किये जाने योग्य है। इस संबंध में अदालत हाजा के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

समक्ष अपील प्रकरण में प्रस्तुत अपील मीमो एवं अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि अधिवक्ता-प्रार्थीगण द्वारा अपील स्तर पर जो आक्षेप उठाये गये, उनका सार सम्मिलित किया जाकर समुचित निरांकरण करते हुए अदालत हाजा द्वारा आलौच्य निर्णय एवं डिकी पारित किये गये है। प्रकरण में प्रस्तुत वादपत्र/अपील-मीमो आदि तथा की गयी बहस आदि का अक्षरशः विवरण निर्णय में हूबहू लिखे जाने की अपेक्षा किया जाना व्यावहारिक एवं विवेकपूर्ण नहीं कहा जा सकता है।

इसके अलावा, तारीख अंकित करने में यदि कोई काट-छांट रही है तो ऐसी काटछांट का क्या किसी बदनीयती से की गयी है? अथवा घरोज़मर्रा के कार्य के दौरान मात्र सहवन से ऐसी काटछांट हुई है, इसका बिना किसी तर्क-वितर्क के विनिश्चयन नहीं किया जा सकता। ऐसी काटछांट का अंतिम प्रभाव क्या रहा? यानि किस पक्षकार के हितों पर प्रतिकूल और किस पक्षकार के हितों पर अनूकूल प्रभाव पडा? बिना बहस तय नहीं किये जा सकते। अधीनस्थ न्यायालय की अनियमितता से पूर्व की तारीखों में प्रार्थी पक्ष को अवसर दिया जाना रिकार्ड पर है इसलिए इस अनियमितता से मामले के गुणावगुण पर कोई सारभूत असर नहीं पडता है। इसकी उपेक्षा न्याय निर्णयन में कहीं आड़े आना प्रतीत नहीं होती है। रिव्यु का स्कोप बहुत ही सीमित होता है और इसके माध्यम से मात्र उन्हीं त्रुटियों का परिमार्जन किया जा सकता है, जिनके संबंध में बिना किसी तर्क-वितर्क के एकमत हुआ जा सकें।

उपरोक्त स्थिति अधिवक्ता-प्रार्थीगण द्वारा उठाये गये अन्य बिन्दुओं के संबंध में भी लागू होती है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि आलौच्य निर्णय एवं डिकी दिनांक 08 नवम्बर 2019 के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर **में द्वितीय अपील पेश की जा चुकी है**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

और उसी संदर्भ में अदालत हाजा की अपील पत्रावली जरिये **पत्र संख्या अपील/डिकी/टीए/6815/2019/जोधपुर 9281 दिनांक 22 नवम्बर 2019 तलब की जा चुकी है।** ऐसी स्थिति में अदालत हाजा के समक्ष यह रिव्यु प्रार्थनापत्र औचित्यविहीन हो चुका है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर यह रिव्यु प्रार्थनापत्र सारहीन एवं औचित्यविहीन होने के कारण खारिज किया जाता है तथा अदालत हाजा द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय एवं डिकी दिनांक 08 नवम्बर 2019 यथावत रखे जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 24/11/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर